उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–2455/छ:–पु0–9–18–13(10)/84टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2018

अधिसूचना
(प्रकीर्ण)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या–5 सन् 1861) की धारा–34 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित जिले में, स्तम्भ–3 में उल्लिखित मेला द्वारा अध्यासित किये जाने वाले, स्तम्भ–4 में उल्लिखित ग्रामीण क्षेत्र पर उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबन्धों का विस्तार, उक्त उपधारा (1) में उल्लिखित सभी अपराधों के सम्बन्ध में, स्तम्भ–5 में मेला के सामने उल्लिखित अवधि के लिए करते हैं:–

–:अनुसूची:–

क0	जिला का नाम	मेला का नाम	मेला का स्थान	अवधि (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए)
1	2	3	4	5
1	सम्भल	गंगा मेला सिसौना डांडा	ग्राम–सिसौना डांडा के निकट अनूपशहर पुल परगना रजपुरा, तहसील गुन्नौर, मुख्य धारा के समीप (1.5 कि0मी0 x1.5 किसी क्षेत्रफल)	दिनांक– 16.11.2018 से 30.11.2018 तक

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या–2455(1)/छ:–पु0–9–2016,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को गजट के आगामी अंक के भाग–4,खण्ड–'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। पांच–पांच मुद्रित प्रतियां शासन एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–2455(2)/छ:–पु0–9–2016,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0,लखनऊ।
(2) आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
(3) जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल को उनके पत्रांक–186/न्या0 सहा0/मेला सिसौना डांडा/2018–19 दिनांक 23.10.2018 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया मुद्रित प्रतियां संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ से शीघ्र प्राप्त करने का कष्ट करें।
(4) पुलिस अधीक्षक सम्भल।
(5) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(6) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

E:\Data Police-9\Pramod Rai R O\Notification DRAFT 7921